इन्दौर में माडर्न बेकरीज का यूनिट स्थापित किया जाना

8465. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के इन्दौर डिवीजन मे किसी स्थान पर मार्डन बेकरीज का एक यूनिट स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हा, तो कब तक और किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) किसी स्थान विशेष पर मार्डन बेकरीज का यूनिट स्थापित करने के लिए क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख). जी हा। मार्डन बेकरीज का इन्दौर मे एक सयंत्र लगाने का विचार है। इस सयंत्र के वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान कार्य प्रारम्भ कर देने की आशा है।

(ग) इस सम्बन्ध मे अपनाई गई मुख्य कसौटी माग सम्भाव्य कार्य करने सम्बन्धी सुविधाए और बिजली आदि जैसी सेवा सुविधाये है।

वर्ष 1972-73 में आयातित उर्वरक में मध्य प्रदेश का हिस्सा

8466. श्री गंगाचरण दीक्षित: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 मे मध्य प्रदेश को कितना आयातित उर्वरक सप्लाई किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) वर्ष 1972-73 मे मध्य प्रदेश को 38,559 मीटरी टन नाइट्राजन और 5,068 मीटरी टन पी $_2$ ओ $_5$ के बराबर उर्वरको की सप्लाई की गई थी।

Enhancement of prices of Plots after Execution of Lease Deeds

8467 SHRI SHAFQUAT JUNG Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state

(a) why enhancement at Rs 2 40 per sq metre has been/is being claimed by D D A for plots after the execution of lease deeds when the Delhi Administration had fixed such enhancement at Re 1/- in April, 1969,

(b) whether the enhancement is not included in the rate of Rs 32/- per square yard charged as full cost of the plots sold to them, and

(c) whether such an enhancement was not advertised calling for their applications in October, 1967, if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA) (a) The enhancement fixed was Rs 2 per square yard in respect of developed land

(b) The rate of Rs 32/- per sq yd. fixed in the case of Pankha Road scheme does not include the enhancement

(c) In the advertisement, applications were invited on prescribed forms containing the terms and conditions of allotment Class 5(2) of the terms and conditions of allotment referred to recovery of enhanced premium.